न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलडा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 34 / 2023
दायर दिनांक : 16 / 06 / 2023
निर्णय दिनांक : 02 / 12 / 2024

उनवान

1. विनोद कुमार पुत्र घनश्याम अग्रवाल निवासी उसरोल

प्रार्थीगण

बनाम

1. रतन पिता नोला भील निवासी उसरोल
2. छगन पिता नोला भी निवासी उसरोल
3. धीसू पिता नारू भील निवासी उसरोल
4. तेजा पिता उदा भील निवासी उसरोल
5. मांगू पिता उदा भील निवासी उसरोल
6. रतन पिता वरदू भील निवासी उसरोल
7. खेमा पिता वरदू भील निवासी उसरोल
8. देवीलाल पिता भगवान गाडरी निवासी उसरोल
9. कमला पुत्री नगजीराम गाडरी निवासी उसरोल
10. माधु पिता भैरूलाल बैरवा निवासी उसरोल

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

: निर्णय :

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि ग्राम उसरोल पटवार हल्का उसरोल तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी में प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की आराजियात स्थित है, जो हाल जमाबंदी दर्ज नया खाता सं. 201 से दर्ज आ0स0 673 रकबा 0.35 है. आ0स0 674 रकबा 0.17 है. आ0स0 681 रकबा 0.15 है. आ0स0 682 रकबा 0.13 है. आ0स0 683 रकबा 0.05 है. आ0स0 684 रकबा 0.01 है. आ0स0 685 0.02 है. आ0स0 686 रकबा 0.32 है आ0स0 688 रकबा 0.07 है. आ0स0 689 रकबा 0.10 है. आ0स0 691 रकबा 0.20 है. आ0स0 692 रकबा 0.12 है. आ0स0 693 रकबा 0.20 है. आ0स0 710 रकबा 0.45 है. आ0स0 711 रकबा 0.48 है. कुल किता 18 उसरोल पटवार हल्का उसरोल तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी में प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात स्थित है, जो हाल जमाबंदी दर्ज नया खाता सं. 131 से दर्ज आ0स0 698 रकबा 0.49 है. कुल किता 1 कुल रकबा 0.49 है. स्थित है। व इसी प्रकार ग्राम उसरोल पटवार हल्का उसरोल तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी में प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात स्थित है, जो हाल जमाबंदी दर्ज नया खाता स. 132 से दर्ज आ0स0 1705 रकबा 0.60 है. कुल किता 0 कुल रकबा 0.60 है. स्थित है। व इस प्रकार ग्राम उसरोल पटवार हल्का उसरोल तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी में प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की आराजियात स्थित है, जो हाल जमाबंदी दर्ज नया खाता स. 129 से दर्ज आ0स0 677 रकबा 0.33 है. आ0स0 680 रकबा 0.18 है. आ0स0 690 रकबा [illegible] है आ0स0 694 रकबा 0.24 है. कुल किता 6 कुल रकबा 1.45 है. स्थित है। सबूत के लिए हाल जमाबंदी [illegible] नकलें प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न है। उक्त आराजीयात की पत्थरगढी कराने के लिए प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को कहा [illegible] करते हुए कहा कि आदेश करवा लेना जिस पर प्रार्थी ने स्वयं अदालत आकर पत्थरगढी हेतु आवेदन पेश किया है और पत्थरगढी कराने की बात दिनांक 10.05.2023 को कहने से बिनाय प्रार्थनापत्र पैदा होकर निरंतर जारी है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को सम्मन जारी किए गए। अप्रार्थी संख्या 9 की ओर से वकील श्री पवन जयसवाल ने अधिकार पत्र पेश किया। वकील प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 से 8 व 10 का नाम हटाया जाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.19 10:58:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,

का प्रार्थनापत्र दिनांक 07.08.2024 को पेश किया, जिस पर बहस सुनी जाकर दिनांक 29.10.2024 को अप्रार्थि संख्या 1से 8 व 10 का नाम हटाया गया।

वकील अप्रार्थी संख्या 9 ने अपने जबाव में अंकित किया है कि प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 1 अस्वीकार है। प्रार्थी ने अप्रार्थी कमला के रिश्तेदारों से आराजीयात को क्रय किया है लेकिन अप्रार्थीया कमला के बडे पिता भैरूलाल पिता हिरा तथा कमला के पिता नगजीराम ने अपनी खातेदारी की आराजियात को कमला स्नेह एवं वात्सल्य तथा प्रेम से खुश होकर अपने जीवनकाल में कमला के हक में वसीयत लिखकर दो गवाहो के हस्ताक्षर करवा निष्पादित की उसके बाद से ही कमला भैरूलाल व नगजीराम के खातेदारी कब्जे काश्त एवं आराजीयात का उपयोग उपभोग करती चली आ रही है। तथा वर्तमान में प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजीयात पर कब्जा अप्रार्थीया कमला का ही चला आ रहा है और अप्रार्थिया ने प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजियात पर मक्के की फसल बो रखी है। प्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र में अप्रार्थी संख्या 1 से लगायत 8 व 10 की आराजीयात को खरीद कर लिया गया है व अप्रार्थी संख्या 9 सह खातेदार है जिस कारण पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित नहीं है। प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 2 गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजियात पर प्रार्थी का कब्जा कभी नही रहा प्रार्थी ने अन्य खातेदारों से आराजीयात को खरीद किया है उनका भी प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजीयात पर कब्जा नही था। वादी के द्वारा अप्रार्थीया के अन्य रिश्तेदारों से आराजीयात को खरीदने से पहले ही न्यायालय आप में वाद वर्णित आराजीयात से संबंधित एक वाद इंद्राज दुरूस्ती, खातेदारी अधिकार की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर रखा है। जिसके मुकदमा न0 8/2023 रे0 वाद है जो न्यायालय आप में विचाराधीन है। जिस कारण वाद वर्णित आराजीयात का पत्थरगढी स्वीकार होने योग्य नही है। प्रार्थनापत्र के जवाब के साथ वादपत्र की नकल साथ संलग्न है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात को अप्रार्थी संख्या 1 से लगायत 8 व 10 की आराजीयात को खरीद कर लिया गया है व अप्रार्थी संख्या 9 सह खातेदार है जिस कारण पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित नही है। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमाये जाने का आदेश फरमावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया। वकील अप्रार्थिया के कथनानुसार अप्रार्थिया द्वारा न्यायालय हाजा में इन्द्राज दुरूस्ती एवं खातेदारी अधिकार की घोषणा का प्रस्तुत किया हुआ है, जो कि वाद संख्या 08/2023 दर्ज होकर विचाराधीन है। अतः प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात का वाद विचाराधीन होने से प्रार्थनापत्र बाबत पत्थरगढी अंतर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 128 अस्वीकार किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 02.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पुनीत कुमार गेलडा)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Purit Kumar Gelra
Date: 2025.03.19 10:58:50 IST
Reason: SelfAttested